तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
25.04.2025	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र 22 नियम 3 व 22 नियम 4 प्रस्तुत हुयी। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अपीलाण्ट का तर्क है कि प्रकरण में अपीलाण्ट भगवान सिंह पुत्र परसादी का देहान्त दिनांक 17.12.2021 को एवं इसी प्रकार प्रकरण में रैस्पो0 संख्या 01 मौहरा, रैस्पो0 संख्या 8/1 सोहनलाल का सन् 2016, रैस्पो0 संख्या 8/2 मनोहरी, रैस्पो0 संख्या 8/9 ओमवती का सन् 2016 में निधन हो गया है। अपीलाण्ट को प्रकरण की जानकारी नहीं थी। अपीलाण्ट को अन्य परिवारजनो के द्वारा दिनांक 25.10.2023 को बताये जाने पर उक्त प्रकरण की जानकारी हुयी। अतः जानकारी की दिनांक से मृतक अपीलाण्ट व रैस्पो0 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही अन्दर मियाद की गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मृतक अपीलाण्ट व रैस्पो0 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त डीएनजे 2016(2) पेज 790, आरबीजे 2018 पेज 370, 2008 पेज 403, 523, डीएनजे 2016(2) पेज 790 का उद्धरण प्रस्तुत किया। विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि प्रकरण में अपीलाण्ट भगवान सिंह का स्वर्गवास दिनांक 17.12.2021 को एवं ओमवती की मृत्यु दिनांक 17.07.2013 को, सोहनलाल की मृत्यु 11.07.2013 को एवं मनोहरी का स्वर्गवास सोहनलाल से पूर्व हो चुका है। अपीलाण्ट को उक्त तथ्य की जानकारी शुरू से ही रही है। उनके द्वारा मृतक अपीलाण्ट व रैस्पो0 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही मियाद बाहर की गयी है एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुयी देरी का कोई उचित कारण भी अंकित नहीं किया है। अतः अपील अपीलाण्ट मृत्यु की दिनांक से 90 दिवस बाद स्वतः ही अवैट हो जाती है। अतः अपीलाण्ट इसी स्तर पर जरिये अवैट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1992 पेज 461, 2004 पेज 436, 2003 पेज 205, डीएनजे 2012(2) पेज 729 का उद्धरण प्रस्तुत किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अपीलाण्ट भगवान सिंह का स्वर्गवास दिनांक 17.12.2021 को एवं ओमवती की मृत्यु दिनांक 17.07.2013 को, सोहनलाल की मृत्यु 11.07.2013 को एवं मनोहरी व मौहरा की मृत्यु दिनांक अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित ही नहीं की गयी है, जो कि अंकित करना आवश्यक है। अपीलाण्ट द्वारा अपीलाण्ट भगवान सिंह के विधिक वारिसान	

को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही 31.10.2023 को की गयी है, जो लगभग 01 वर्ष 10 माह बाद की गयी है। इसी प्रकार रैस्पो0 संख्या 8/1, 8/2, 8/9, 01 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही क्रमशः लगभग 06, 02, 03, 06 वर्ष बाद की गयी है। इस प्रकार अपीलाण्ट ने मृतक व्यक्तियों के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही सुदीर्घ विलम्ब से की गयी है एवं प्रार्थना पत्र में विलम्ब का कोई उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अपीलाण्ट का कथन है कि उन्हें प्रकरण की जानकारी नहीं थी। अपीलांट का उक्त कथन सत्यभाषी नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रकरण में रैस्पो0 के साथ–साथ एक अपीलाण्ट की भी मृत्यु हुयी है एवं अपीलाण्ट की मृत्यु अथवा प्रकरण की जानकारी नहीं होने का कथन सारपूर्ण नजर नहीं आता। क्योंकि अपीलाण्ट स्वयं का कर्तव्य है कि वह अपने द्वारा प्रस्तुत अपील की कार्यवाही से सूचित रहे एवं यथा संभव अपने अभिभाषक के सम्पर्क में रहे। यह सही है कि तकनीकी आधार पर वाद की उपेक्षा करना न्यायालय का ध्येय नहीं हो सकता। परन्तु अपनी स्वयं की लापरवाही के रहते अनुतोष प्राप्त करने की पात्रता क्षीर्ण होती है। उपरोक्त विवचेनानुसार चूंकि अपीलाण्ट द्वारा मृतक अपीलाण्ट व रैस्पो0 के विधिक वारिसान के कायम मुकाम की कार्यवाही सुदीर्घ विलम्ब से की गयी है एवं प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम में देरी का कोई उचित कारण भी अंकित नहीं किया है। अतः अपील अपीलाण्ट मृतक अपीलाण्ट व रैस्पो0 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की, तय समय सीमा निकलने के पश्चात् स्वतः ही अवैट हो जाती है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर जरिये अवैट खारिज की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीबानी)
Civil Procedure Code] AppendiÛ D&1)
अज अदालत भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर
व इजलास श्री सुनील आर्य (आर०ए०एस०)

अपील सख्याः– 14/2013 (223 आर० टी० एक्ट)

आरसीएमएस संख्या – 2013/00027

1. परसादी (मृतक)

1/1. कुवरसैन
1/2. देविसिंह
1/3. भगवानसिंह
1/4. जगदीश
1/5. सुजान
} पुत्रगण परसादी जाति गूजर निवासी बारहमाफी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

1/6. भगवानकौर पुत्री परसादी पत्नी बृजेन्द्र जाति गूजर निवासी बारहमाफी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

1/7. मुस0 गवदो पत्नी परसादी जाति गूजर निवासी दारापुर तहसील व जिला भरतपुर

2. भगीचन्द (मृतक)।

2/1. बलवीर पुत्र भगीचंद
2/2. अर्जुन पुत्र भगीचंद
2/3. मुस0 प्रेम पुत्री भगीचंद
2/4. मुस0 महेन्द्रकौर पुत्री भगीचंद
2/5. मुस0 केदार कौर पुत्री भगीचंद
2/6. मु9 सरदार कौर पुत्री भगीचंद
} अकवाम गूजर निवासी चॉदोली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

बनाम

1. मुस० मोहरादेवी बेवा वंशी
2. पुखराज पुत्र बेवा वंशी
3. जगवीर पुत्र वंशी
4. फत्ती (मृतक)
} जाति गूजर निवासी चॉदोली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

4/1. श्रीमानसिंह पुत्र निहालसिंह जाति गूजर निवासी बंजी तहसील व जिला भरतपुर।

4/2– श्रीमती सीया पत्नी मूली पुत्री फत्ती जाति गूजर निवासी जाटोली घना तहसील व जिला भरतपुर।

4/3–श्रीमती किरन पुत्री फत्ती पत्नी हरभान जाति गुजर निवासी दिदावली तहसील डीग जिला भरतपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर।
6. श्रीमान तहसीलदार साहब रूपवास जिला भरतपुर।
7. ग्रम पंचायत बरघा जरिये सरपंच।
8. लीलाधर पुत्र शिवली (मृतक)

8/1. सोहनलाल पुत्र लीलाधर
8/2. मनोहरी पुत्र लीलाधर ।
8/3. बाबू पुत्र लीलाधर।
8/4. सुरेश पुत्र लीलाधर।
8/5. रज्जो पुत्र लीलाधर।
8/6. मुन्ना पुत्र लीलाधर।
8/7. ग्योनेश पुत्र लीलाधर।
} जाति हरीजन निवासी चांदोली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

8/8. मुस0 कैलो
8/9. मुस0 ओमवती
8/10. रामबेटी
} पुत्री लीलाधर जाति हरीजन निवासी चांदोली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधि० विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया० सहायक कलक्टर दिनांक 18.12.87 मि.नं. 57/86 व 100/87 उनवानी फत्ती बनाम सरकार।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभा[redacted] **पंकज कुमार** उपस्थित व रेस्पोडेंट अभिभाषक **श्री महाराज सिंह डागुर** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि अपील अपीलांट अबैट **खारिज** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.87 के आदेश यथावत रखे जाते है। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **25** माह **04** सन् **2025** को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
औहदा
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलाह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जिदावा			स्टाम्प अर्जिदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वहजा सबूत			स्टाम्प वहज सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		

मुहर

दस्तखत...
औहदा
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)